रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3078] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2016/पौष 7, 1938
No. 3078] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2016/PAUSA 7, 1938

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4205(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1777(अ) तारीख 30 जून, 2015, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना की प्रतियां 30 जून, 2015 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया;

महाराष्ट्र सरकार ने अपनी राजपत्र अधिसचूना में सं. डब्लू एल पी – 10.07/सी.आर. 297 /एफ-1, तारीख 27 दिसंबर, 2007 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से मिलकर बनने वाले मेलघाट बाघ आरक्षिती को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 (फ) के उपबंधों के अधीन महत्वपूर्ण पर्यावास को 1500.49 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में घोषित किया है अर्थात्:-

(i) गूगामल राष्ट्रीय उद्यान (36128.06 हेक्टेयर), जिला अमरावती,

(ii) वन वन्यजीव अभयारण्य (21100.70 हेक्टेयर), जिला अमरावती,

(iii) मेलघाट वन्यजीव अभयारण्य (78875.24 हेक्टेयर), जिला अमरावती,

(iv) नरनाला वन्यजीव अभयारण्य (1235.07 हेक्टेयर), जिला अकोला, और

(v) अंबावर्वा वन्यजीव अभयारण्य (12711.42 हेक्टेयर), जिला बुलधाना ;

और, महाराष्ट्र सरकार ने अपनी राजपत्र अधिसचूना में सं. डब्लू एल पी – 10-10/सीपी 139 /एफ-1, तारीख 29 सितंबर, 2010 द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 (वी) के अधीन 1268.03 वर्ग किलोमीटर (920.65 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र और 347.38 वर्ग किलोमीटर गैर वन क्षेत्र) को मेलघाट बाघ आरक्षिती को मध्यवर्ती क्षेत्र के रुप में घोषित किया है;

और, इस क्षेत्र में प्राणियों और वनस्पतियों की विविधता है तथा इसमें 42 बाघों (*पैंथरा टिगरिस*), तेंदुआ (*पैंथरा पारडस*), जंगली भैंसा (*बॉस गौरस*), रीछ (*मैलुरसस युरसिनस*), वन आउलैट (*हेटरोग्लोक्स बिलिविटी*) जैसे बड़ी संख्या में वन्य प्राणी पाये जाते हैं तथा बाघ आरक्षिती के वनों में विविधता और समृद्धता है तथा उन्हें चैंपियन और सेठ के वर्गीकरण के अनुसार समूह 5 – उप समूह – 5क – दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के रुप में वर्गीकृत किया गया है ;

और, यह बाघ आरक्षिती जैसे तापी, गडगा, सिपना और वन महत्वपूर्ण नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र है और इसमें आदिवासियों की बहुत आबादी आदिवासी ग्रामों में रहती है;

और, मेलघाट बाघ आरक्षिती के मध्यवर्ती क्षेत्र को उसके वन्य प्राणियों या उसके पर्यावरण को समृद्ध और विकसित करने की दृष्टि से पारिस्थितिक और पर्यावरणीय दृष्टि से संरक्षित करने के लिए परीक्षित करने की अपेक्षा है;

और, पूर्वोक्त वर्णित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों जो मेलघाट बाघ आरक्षिती का गठन करते हैं, कि मानव पर्यावास और चालू विकास क्रियाकलापों से अति निकटता उचित सुरक्षोपायों और ऐसे क्रियाकलापों पर समुचित नियंत्रण की अपेक्षाओं को आवश्यक बनाती है;

और, अब इस अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है तथा जिसकी सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में मेलघाट बाघ आरक्षिती के चारों ओर पारिस्थितक संवेदी जोन के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है और पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों या उद्योगों के वर्ग को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में मेलघाट बाघ आरक्षिती की सीमा से 10 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, मेलघाट अभयारण्य, वन अभयारण्य, अंबावर्वा अभयारण्य और नरनाला अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 126803.67 हेक्टेयर के क्षेत्र में 2.2 किलोमीटर से 14.85 किलोमीटर तक के साथ मेलाघाट बाघ आरक्षिती की सीमा में फैला हुआ है । यह विस्तार महाराष्ट्र राज्य के लिए लागू किया गया है । मध्य प्रदेश राज्य की निकटवर्ती सीमा की दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर शून्य में उल्लेख किया है जिसमें प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के अलग-अलग संबंधित राज्य के साथ विचार में रखा जाएगा। पारिस्थितिक संवेदी जोन तालुकों में आवरित ग्रामों अर्थात्, धारणी, चिकलधारा, चिकाली, मोटाला, खमगांव, अकोट, बुलधाना, और अमरावती, अकोला और बुलधाना जिलों में संग्रामपुर है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** में दिया गया है ।

(3) निर्देशांकों के मुख्य बिन्दुओं के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-II** के रुप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र इस अधिसूचना के **उपाबंध III** पर उपाबद्ध है।

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वन और गैर वन क्षेत्र दोनों नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार सम्मिलित हैं :

क्रम सं.	जिला	वनक्षेत्र हैक्टेयर में	गैर वनक्षेत्र हैक्टेयर में
1	अमरावती	86696.56	12860.54
2	अकोला	1932.43	15967.48
3	बुलधाना	3436.50	5910.16
	योग	**92065.49**	**34738.18**

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –

(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट रीति के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आंचलिक महायोजना अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्त के अनुरूप तैयार होगा और पर्यावरणीय निहितार्थ सम्मिलित है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना को राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति में और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो के अनुसार भी तैयार किया जाएगा ।

(4) मेलघाट वन आरक्षिती का मध्यवर्ती क्षेत्र पारिस्थितिक संवेदी जोन का एक भाग है, मध्यवर्ती क्षेत्र से संबंधित बाघ आरक्षिती परियोजना पर भी आंचलिक महायोजना तैयार करने के दौरान विचार किया जाएगा ।

(5) आचंलिक महायोजना संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि ;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज; और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(6) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जलाशयों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभर प्रबंधन, भूजल प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे पार्को और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यानों, झीलों और अन्य जलाशयों का सीमांकन करेगी; आंचलिक महायोजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण किया जाएगा ।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

(10) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.—**राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद 9, 15, 21, 29 और 32 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संन्निर्माण;

IndiaCode

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि सम्मिलित है :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में मेलघाट बाघ आरक्षिती की बफर जोन प्रबन्धन योजना के अनुसार पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.—**आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **अनुकूल पर्यटन.—**(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में है, के अनुसार होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन विभाग, द्वारा राजस्व और वन विभाग, महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंधित पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, मेलघाट अभयारण्य, वन अभयारण्य, अंबावर्वा अभयारण्य और नरनाला अभयारण्य की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के एक किलोमीटर के परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना को पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन सुविधाओं के लिए नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में और पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

IndiaCode

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों के अनुसार पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, 2000 अंतर्गत तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण सामान्य मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट.—**ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अजैव सामग्री स्वीकार्य रीति से पर्यावरणीय में व्ययत् किया जाएगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना स.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना स.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना स.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **यानीय परिवहन.—**परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित, संवर्धित प्रवर्तक क्रियाकलापों की सूची.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

IndiaCode

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणीयां
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध होंगी। तथापि, वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना विद्यमान विनियमों के अनुसार अनुज्ञात होंगे। (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना A	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग A	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	नए वृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना A	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन A	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण A	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
	विनियमित क्रियाकलाप	
8.	नए काष्ठ आधारित उपयोग A	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु नई लकड़ी आधारित उद्योग 100% आयातित काष्ठ भण्डार का उपयोग कर पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापित किया जाएगा।
9.	पारिस्थितिक पर्यटन के लिए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना A	पारिस्थितिक के अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी आवास के सिवाए संरक्षित क्षेत्रों की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुज्ञात नही होगी : पंरतु एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों के विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप A	संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। (ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण कार्यकलापों को आंचलिक महायोजना सम्मुख अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा।

11.	वृक्षों की कटाई A	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
12.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है A	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और देशी खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
13.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण A	भूमिगत केबलों को बढ़ावा दिया जाएगा।
14.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना A	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण A	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
16.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन A	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
17.	विदेशी प्रजातियों को लाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण A	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण A	उपचारित अपशिष्टों के पुन:चक्रण और पुन:प्रयोग के लिए प्रयास किया जाएगा। पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण सामान्य मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।
20.	वाणिज्यिक सूचनापट्ट और होर्डिंग A	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग A	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि, या कृषि आधारित उद्योग देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात होंगे।
22.	वन उत्पादों और गैर-काष्ठ वन उत्पादों (एन टी एफ पी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	वायु और यानिक प्रदूषण A	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	होटलों और लॉजों के परिसरों में बाड़ लगाना A	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	पोलिथीन बैगों का उपयोग A	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों, हेलीकाप्टर, ड्रोन, आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
संवर्धित क्रियाकलाप		
28.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।

29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
30.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना A	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं A	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग A	जैव गैस, सौर प्रकाश आदि को बढावा देना होगा ।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
35.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
36.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।

5. निगरानी समिति.— (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क)	कलक्टर, अमरावती	अध्यक्ष;
(ख)	कलक्टर, अकोला का प्रतिनिधि	सदस्य;
(ग)	कलक्टर, बुलधाना का प्रतिनिधि	सदस्य;
(घ)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि -	सदस्य;
(ङ)	प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	सदस्य;
(च)	क्षेत्र का ज्येष्ठ कस्बा योजनाकार	सदस्य;
(छ)	पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(ज)	पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्य के ख्याती प्राप्त प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय से महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(झ)	महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य सचिव / सदस्य	सदस्य;
(ञ)	उप वन संरक्षक, पश्चिमी मेलघाट प्रभाग	सदस्य;
(ट)	उप वन संरक्षक, अकोट वन्यजीव प्रभाग	सदस्य;
(ठ)	उप वन संरक्षक, अकोला प्रभाग	सदस्य;
(ड)	उप वन संरक्षक, बुलधाना प्रभाग	सदस्य;
(ढ)	क्षेत्र निदेशक, मेलघाट बाघ आरक्षिती का प्रतिनिधि	सदस्य;
	(ण) उप वन संरक्षक, पूर्वी मेलघाट प्रभाग - सदस्य-सचिव ।	

निर्देश निबंधन

(1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी और निगरानी समिति की अवधि तीन वर्ष की होगी ।

(2) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय

IndiaCode

पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

7. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

उपाबंध I

प्रस्तावित मेलघाट बाघ आरक्षिती पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर :	तापी नदी महाराष्ट्र – मध्य प्रदेश की सीमा उपखंड सं0 567 से उपखंड सं. 457 नजदीक सुमिता ग्राम तत्पश्चात् उपखंड सं. 457, 459, 460, 462 और 463 की उत्तरी सीमा के साथ साथ और खांदू नदी, उपखंड सं. 466, 477 और 479 की उत्तरी और पूर्वी सीमा के साथ तथा उपखंड सं. 420, 419, 418, 327, 329, 330, 333, की उत्तरी सीमा, उपखंड सं.334, 403, 402, 400, 398, की पश्चिमी सीमा, 398 और 399 की उत्तरी और पूर्वी सीमा उपखंड सं. 336, की उत्तर पूर्वी सीमा उत्तरी, उत्तर-पूर्वी सीमा, पूर्वी और दक्षिणी सीमा विद्यमान मेलघाट बाघ आरक्षिति का बहुउपयोगी क्षेत्र । 1220,1218,1217,1216 की उत्तरी सीमा उपखंड सं. 1298, 1289, 1290 की पश्चिमी सीमा जो ग्राम छेंदों के नजदीक है, ग्राम रानी गांव और कंजोली की उत्तरी सीमा और उपखंड सं. 1172] 1151] 1152] 1154] 1155] 1164 की उत्तरी सीमा 1163] 1209 उपखंड सं. की पश्चिमी सीमा तथा मेलघाट वन प्रभाग के उपखंड सं. 1209, 1210, 1212, 1213 और 1214 की उत्तरी सीमा । पूर्वोक्त वर्णित सभी उपखंड जो सीमा के साथ हैं, को पूर्णतया मेलघाट पारिस्थितिकी संवेदी जोन में शामिल किया गया है ।
पूर्व :	उपखंड सं. 309 की उत्तर और पूर्वी सीमा, उपखंड सं.308 की पूर्वी सीमा, पूर्वी मेलघाट वन्य खंड के उपखंड सं. 307, 306, 305, 304, 303, 301, 300, 299, 200, 199 से मध्य प्रदेश की सीमा के साथ और उपखंड सं. 77, 82, 81, 80, 55, 54, पूर्वी, उपखंड सं. 53 की दक्षिण पूर्वी और दक्षिण सीमा उपखंड सं.49 की दक्षिण सीमा, उपखंड सं. 47,46 की पूर्वी सीमा, उपखंड सं.22 की दक्षिण पूर्वी और दक्षिण सीमा उपखंड सं.26 की पूर्वी सीमा पूर्व मेलघाट खंड की उपखंड सं. 27 की पूर्वी और दक्षिण सीमा उपरोक्त वर्णित सभी उपखंड सीमा के साथ मेलघाट पारिस्थितिक संवेदी जोन में पूर्णत: सम्मिलित है ।
दक्षिण	खोंगडा से वास्तापुर रोड के साथ पूर्वी मेलघाट वन्य प्रखंड के उपखंड सं.950 की पूर्वी सीमा और पूर्वी मेलघाट वन्य प्रखंड के उपखंड सं. 950 की दक्षिण सीमा, उपखंड सं. 951 की पूर्वी और दक्षिणी सीमा और पूर्वी मेलघाट प्रखंड के उपखंड सं. 952 की दक्षिणी सीमा और पश्चिम मेलघाट प्रखंड के उपखंड सं. 958, 957, 956, 963, 962, 964, 971, 970 ग्राम पोपटखेड़ तक पाथर नाला के साथ उपखंड का 1020.1021 की पूर्वी सीमा और ग्राम पोपटखेड़, मलकापुर (भील), खासगांव, धारुर (रामापुर), सरफाबाद, कसोद (शिवपुर), आलमपुर, पिंपरी (खुर्द), यदलापुर,

	खैरखेड़, चितलवाड़ी, खंडाला, बोराड़ी, करला, बतरखेड़ की दक्षिण ग्राम सीमाएं, अकोला जिला के अकोला वन्य प्रखंड की वान नदी तक, पिंगली, साईरबेड की पूर्वी ग्राम सीमा, बुलधाना जिला के बुल्धाना वन्य प्रखंड के उपखंड सं. 365 की दक्षिण सीमा उपरोक्त वर्णित सभी उपखंड.....सम्मिलित हैं।
पश्चिम :	उपखंड सं.365 की पश्चिमी सीमा और बुलधाना वन्य प्रखंड उपखंड सं. 364, 363 की उत्तरी सीमा और अम्बाबरवा वन्यजीव अभयारण्य के 362, 360, 359, 352 की पश्चिमी सीमा, पश्चिम मेलघाट वन्य प्रखंड के उपखंड सं. 1219, 1220, उपखंड सं. 895, 741, 740, 739, 737, 738, 734, 748, 846, 845, 836, 835, 754, 753, 749 के साथ मेलघाट बाघ आरक्षिती की विद्यमान बाहरी सीमा और उपखंड सं.635 से 657 तक सिपना नदी के साथ सीमा और ग्राम रंगुबेली के पास उपखंड सं. 658, 664, 663, 662, 590, 578, 577, 576, 569, 568 और 567 की पश्चिमी सीमा उपरोक्त वर्णित.....सम्मिलित है।

उपाबंध – II

अक्षांश और देशांतर सहित ग्रामों की सूची

क्रम सं.	प्रभाग का नाम	तालुका	ग्राम का नाम	देशांतर				अक्षांश			
				डि0		मि0	सें	डि0		मि0	सें
1	**सिपना वन्यजीव प्रभाग प्रातवाड़ा**	चिखालदारा	घाना	पू0	77	28	37	उ0	21	34	21
2			खादूखेड़ा	पू0	77	27	08	उ0	21	34	45
3			चूंखाड़ी	पू0	77	24	59	उ0	21	34	31
4			खादीमल	पू0	77	25	47	उ0	21	36	32
5			अवागड़	पू0	77	27	50	उ0	21	35	54
6			मेहरियम	पू0	77	27	26	उ0	21	37	04
7			जरिदा	पू0	77	29	00	उ0	21	38	18
8			कामिदा	पू0	77	29	05	उ0	21	38	54
9			बारूगाभन	पू0	77	29	52	उ0	21	40	14
10			मारीत	पू0	77	23	16	उ0	21	40	04
11			एकताई	पू0	77	18	25	उ0	21	44	04
12			सिमोरी	पू0	77	20	50	उ0	21	44	25
13			चिलती	पू0	77	2	02	उ0	21	42	29
14			रुइपथर	पू0	77	18	54	उ0	21	42	13
15			सरवरखेदा	पू0	77	16	49	उ0	21	42	20
16			हत्रू	पू0	77	19	00	उ0	21	40	38
17			कुही	पू0	77	19	14	उ0	21	41	33
18			डोमी	पू0	77	16	16	उ0	21	41	09
19			भूट्रम	पू0	77	16	45	उ0	21	43	01
20			एकताई	पू0	77	15	48	उ0	21	39	30
21			खोकमार	पू0	77	12	45	उ0	21	40	19
22			खांदा	पू0	77	09	22	उ0	21	40	39
23			कुण्ड	पू0	77	10	50	उ0	21	43	16
24			रंगुबेली	पू0	77	08	00	उ0	21	42	57
25			घोकड़ा	पू0	77	09	15	उ0	21	41	36
			25 ग्राम								

IndiaCode

क्रम सं.	प्रभाग का नाम	तालुका	ग्राम का नाम	देशांतर				अक्षांश			
				डि0		मि0	सें	डि0		मि0	सें
26	**गुगामल वन्यजीव प्रभाग प्रातवाड़ा**	चिखलदरा	तरुबंडा	पू0	77	08	41	उ0	21	27	57
27			केली	पू0	77	10	48	उ0	21	29	30
28			चिखली	पू0	77	07	33	उ0	21	30	20
29			पाटकाहु	पू0	77	07	01	उ0	21	28	58
30			हरीसाल	पू0	77	06	40	उ0	21	32	06
31			टंगड़ा	पू0	77	05	22	उ0	21	35	45
32			चौरकुण्ड	पू0	77	06	26	उ0	21	36	34
33			रक्षा	पू0	77	06	01	उ0	21	27	39
34			भीरोजा	पू0	77	09	22	उ0	21	30	09
35			घड़गभांडूँ	पू0	77	00	23	उ0	21	26	40
36			सवार्य	पू0	77	02	20	उ0	21	26	07
37			भांडूँ	पू0	77	01	04	उ0	21	25	30
38			केसआरपुर	पू0	77	08	21	उ0	21	30	04
39			दभिया	पू0	77	59	51	उ0	21	25	31
			14ग्राम								
40	**पश्चिम मेलघाट प्रातवाड़ा**	लदरा	खटकाली	पू0	77	05	58	उ0	21	15	53
41		चिखलदरा	अहद	पू0	77	05	07	उ0	21	13	23
42		धरणी	गोलाई	पू0	76	53	11	उ0	21	18	45
43		धरणी	मोथखेड़ा	पू0	76	51	27	उ0	21	18	57
44		धरणी	भीरोटी	पू0	76	40	12	उ0	21	19	08
45		धरणी	धुलघाट	पू0	76	44	11	उ0	21	17	41
46		चिखलदरा	अमोना	पू0	76	59	40	उ0	21	13	33
47		चिखलदरा	तलाई	पू0	76	48	41	उ0	21	15	35
48		धरणी	पलासकुंडी	पू0	76	43	29	उ0	21	17	16
49		धरणी	रानिगाओ	पू0	76	46	26	उ0	21	18	02
50		धरणी	कंजोली	पू0	76	49	54	उ0	21	19	00
51		धरणी	चेन्डो	पू0	76	43	29	उ0	21	18	20
			12 ग्राम								
52	**पूर्व मेलघाट प्रभाग चिखलदरा**	चिखलदरा	अमज़री	पू0	77	20	07	उ0	21	26	06
53			मरिउमपुर	पू0	77	18	59	उ0	21	24	53
54			खटकाली	पू0	77	19	04	उ0	21	25	40
55			चिखलदरा	पू0	77	19	41	उ0	21	24	03
56			शाहपुर	पू0	77	20	06	उ0	21	25	03
57			बोरी	पू0	77	20	27	उ0	21	26	50
58			टेटू	पू0	77	20	27	उ0	21	26	50
59			मोज़ारी	पू0	77	18	23	उ0	21	22	27
60			बगलींगा	पू0	77	20	57	उ0	21	21	32
61			जामुन्नाला	पू0	77	23	32	उ0	21	25	50

IndiaCode

क्रम सं.	प्रभाग का नाम	तालुका	ग्राम का नाम	देशांतर				अक्षांश			
				डि0		मि0	सें	डि0		मि0	सें
62			अमज़री	पू0	77	20	16	उ0	21	23	46
63			मरिउमपुर	पू0	77	20	22	उ0	21	24	06
64			खटकाली	पू0	77	20	16	उ0	21	23	45
65			चिखलदरा	पू0	77	12	24	उ0	21	19	11
66			शाहपुर	पू0	77	13	58	उ0	21	19	43
67			बोरी	पू0	77	15	41	उ0	21	20	11
68			टेटू	पू0	77	11	14	उ0	21	18	54
69			मोज़ारी	पू0	77	20	17	उ0	21	28	24
70			बगलींगा	पू0	77	22	53	उ0	21	29	39
71			जामुन्नाला	पू0	77	19	49	उ0	21	21	03
72			अमज़री	पू0	77	18	56	उ0	21	20	59
73			मरिउमपुर	पू0	77	18	22	उ0	21	20	48
74			खटकाली	पू0	77	16	38	उ0	21	20	26
			23 ग्राम								
75	**बुलधाना वन प्रभाग, बुलधाना**	संग्रामपुर	शिओनि	पू0	76	39	31	उ0	21	07	24
76			वासली	पू0	76	38	49	उ0	21	09	43
77			निमखेड़ी	पू0	76	18	32	उ0	21	09	35
78			छिचारी	पू0	76	40	41	उ0	21	09	36
79			सैखेद	पू0	76	42	48	उ0	21	08	49
80			अलेवाड़ी	पू0	76	41	04	उ0	21	10	06
81			पिंगलई (ब्के)	पू0	76	44	12	उ0	21	09	36
82			हदयामल	पू0	76	39	03	उ0	21	08	48
83			कमोड (रीत)	पू0	76	44	31	उ0	21	10	41
			9 ग्राम								

क्रम सं.	प्रभाग का नाम	तालुका	अंक्षांश	देशांतर
1	सूंधारखेड़	बुलधाना	उ0-20 31 425	पू0-76.12.370
2	सवाला		उ0-20 35 417	पू0-76.13.541
3	भदोला		उ0-20 31.141	पू0- 76.14.163
4	वरंद		उ0-20 30 515	पू0- 76.16.452
5	गोंधानखेड़		उ0-20 31.405	पू0- 76.18.425
6	पिम्परखेड़		उ0-20 32 245	पू0- 76.16.445
7	डोंगरखंडाला		उ0- 20 29 170	पू0- 76 17 478
8	हनुमन्तखेड़		उ0- 20 33 329	पू0- 76 13 407
9	खेरदी		उ0- 20 28 539	पू0- 76 16 471
10	डोंगरशेओली	चिखली	उ0- 20 28 083	पू0- 76 19 012
11	वैरगद		उ0- 20 28 475	पू0- 76 28 070
12	कर्वंड		उ0- 20 27 295	पू0- 76 22 357

IndiaCode

13	टाक़ारखेड़ हेल्गा		उ0- 20 27 334	पू0- 76 24 557
14	अंधा		उ0-20 24 459	पू0- 76.18 498
15	बोरला		उ0- 20 30 539	पू0- 76 21 070
16	हरनी		उ0- 20 29 309	पू0- 76 26 208
17	चंदई		उ0- 20 25 537	पू0- 76 18 176
18	कोटखेड़	मोटाला	उ0- 20 28 043	पू0- 76 20 317
19	तरोदा		उ0- 20 35 416	पू0- 76 15 567
20	गिरोली		उ0- 20 38 362	पू0- 76 19 355
21	निमखेड़ी		उ0- 20 37 483	पू0-76 18 327
22	धमांगाओं		उ0- 20 39 118	पू0-76 18 120
23	कोथली		उ0- 20 38 329	पू0-76 15 563
24	पिम्पलगाओं नाथ		उ0- 20 39 193	पू0-76 19 563
25	चिंचखेड़ नाथ		उ0- 20 36 074	पू0-76 21 311
26	तारापुर		उ0- 20 36 313	पू0-76 18 009
27	ख़िरखेड़		उ0- 20 34 478	पू0-76 13 350
28	सहस्तरमुली		उ0- 20 36 578	पू0-76 14 32
29	सरोला	खामगांव	उ0- 20 35 238	पू0-76 27 544
30	ज़होदगा		उ0- 20 31 463	पू0-76 28 272
31	न्गाज़री कु.		उ0- 20 31 159	पू0-76 29 185
32	न्गाज़री बु.		उ0- 20 30 254	पू0-76 29 085
33	व्ज़हार		उ0- 20 33 009	पू0-76 29 151
34	पिम्पलेचोस		उ0- 20 35 427	पू0-76 24 003
35	बेलखेड़		उ0- 20 35 377	पू0-76 24 158

क्रम सं.	प्रभाग का नाम	तालुका	ग्राम का नाम	ग्राम बिन्दु निर्देशांक
1	अकोला वन प्रभाग, अकोला	अकोट	भीली	उ021°11′27.27″ पू076°54′26.84″
2			पिंपरी (ख)	उ021°09′27.41″ पू076°58′09.58″
3			एदलापुर	उ021°09′36.85″ पू076°56′57.00″
4			खैरखेड़	उ021°09′57.87″ पू076°55′54.85″
5			सहनूर	उ021°13′43.91″ पू077°02′20.54″
6			करहि (रूपगड)	उ021°11′22.98″ पू076°57′41.03″
7			औरंगाबाद (रीत)	उ021°07′08.62″ पू077°01′49.92″

Indiacode

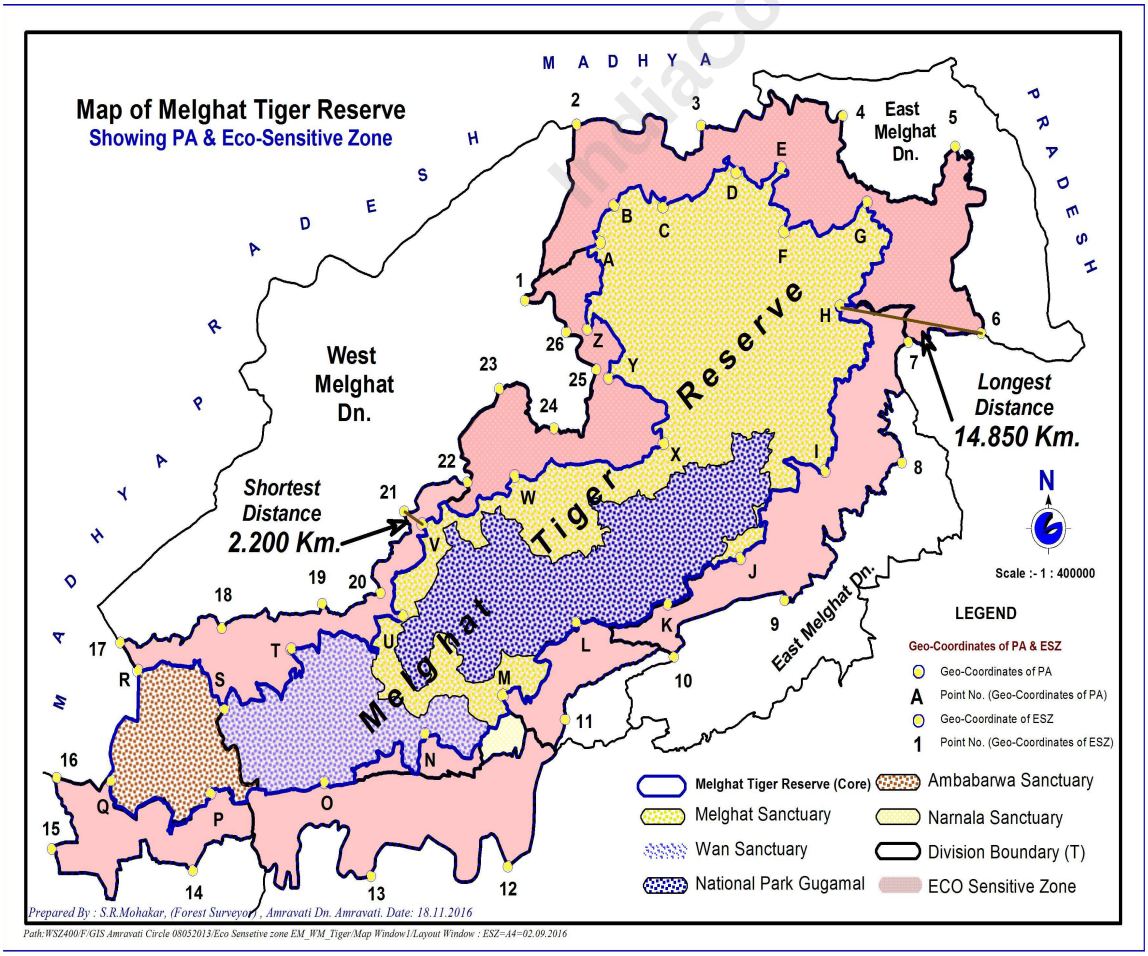
8			आलमपुर (रीत)	उ021°10′33.78″ पू076°59′29.88″
9			छिपी	उ021°11′43.49″ पू076°56′29.72″
10			धोंडखार	उ021°11′15.86″ पू076°55′40.49″
11			बोरवा	उ021°11′04.99″ पू076°53′52.91″
12			चित्तलवाड़ी	उ021°09′16.00″ पू076°54′42.14″
13			बोरादि (रीत)	उ021°09′10.01″ पू077°01′55.10″
14			छिचारी	उ021°10′40.10″ पू076°53′34.73″
15			दिवाज़ारी	उ021°10′59.92″ पू076°51′32.66″
16			ज़रीबज़ार	उ021°11′21.27″ पू076°50′35.73″
17			उम्रेश्वरी	उ021°11′23.57″ पू076°49′59.36″
18			कार्ला	उ021°08′36.14″ पू076°49′30.83″
19			पिपरखेड़	उ021°08′36.14″ पू076°49′30.83″
20			वारि	उ021°10′39.65″ पू076°48′02.68″
21			बड़ख़ेड़	उ021°09′34.46″ पू076°47′59.91″
22			भॉयपानी	उ021°10′41.60″ पू076°49′59.38″
23			खंडाला	उ021°11′08.03″ पू076°53′29.79″
24			चंदनपुर	उ021°18′28.72″ पू076°53′06.25″
25			रहानपुर	उ021°12′06.17″ पू077°02′10.77″
26			मलकापुर गोंद	उ021°13′57.16″ पू077°03′33.51″
27			पोपतखेड़	उ021°12′22.47″ पू077°04′30.44″
28			मलकापुर भील (रीत)	उ021°12′57.88″ पू077°03′10.22″
29			ख़सगाओं (रीत)	उ021°10′42.71″ पू077°03′10.22″

IndiaCode

30			धरूर (रामपुर)	उ021°09′58.36″ पू077°02′39.12″
31			सर्फाबाद (रीत)	उ021°01′50.64″ पू077°24′35.88″
32			कसोड (शिवपुर)	उ021°10′45.82″ पू077°00′58.14″
33			जीतपुर भील	उ021°11′19.85″ पू076°57′24.54″
34			साहपुर	उ021°11′13.69″ पू076°59′37.71″
35			जीतपुर रूपगड	उ021°11′06.92″ पू076°58′43.36″

उपाबंध III

मेलघाट बाघ आरक्षिती के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



मेलघाट बाघ आरक्षिती की सीमा के भू-निर्देशांकों के मुख्य बिन्दु

बिंदु सं.	देशांतर	अक्षांश	बिंदु सं.	देशांतर	अक्षांश
ए	77:07:31.707	21:37:23.772	एन	76:56:58.308	21:13:49.157
बी	77:08:22.116	21:39:10.966	ओ	76:50:55.074	21:11:30.396
सी	77:11:19.851	21:39:06.239	पी	76:44:05.164	21:10:58.420
डी	77:15:44.764	21:40:45.720	क्यू	76:38:06.123	21:11:34.061
ई	77:18:27.051	21:40:58.003	आर	76:39:43.683	21:16:51.851
एफ	77:18:38.055	21:37:53.978	एस	76:44:54.928	21:15:01.168
जी	77:23:36.686	21:39:16.758	टी	76:48:56.477	21:17:53.909
एच	77:21:59.309	21:34:17.812	यू	76:55:37.989	21:19:28.127
आई	77:21:02.328	21:26:23.204	वी	76:56:49.230	21:23:53.549
जे	77:15:56.799	21:22:12.400	डब्लयू	77:02:22.561	21:26:11.595
के	77:11:34.524	21:20:01.800	एक्स	77:11:19.072	21:27:44.447
एल	77:06:03.895	21:19:10.043	वाई	77:08:02.383	21:30:53.292
एम	77:01:39.670	21:15:40.409	जेड	77:06:45.978	21:33:14.343

मेलघाट बाघ आरक्षिती के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों के मुख्य बिन्दु

बिंदु सं.	देशांतर	अक्षांश	बिंदु सं.	देशांतर	अक्षांश
1	77:03:01.546	21:34:37.581	14	76:43:00.871	21:07:16.792
2	77:06:08.268	21:43:03.122	15	76:34:34.183	21:08:17.626
3	77:13:38.609	21:42:58.933	16	76:34:50.136	21:11:42.797
4	77:22:08.912	21:43:26.665	17	76:38:40.003	21:18:12.521
5	77:28:56.725	21:41:55.516	18	76:44:45.780	21:18:54.829
6	77:30:28.080	21:32:59.569	19	76:50:47.464	21:20:03.860
7	77:26:04.072	21:32:34.359	20	76:54:18.386	21:20:35.998
8	77:25:39.911	21:26:47.176	21	76:55:43.967	21:24:29.817
9	77:18:35.927	21:20:12.217	22	76:59:32.327	21:25:53.651
10	77:11:54.927	21:17:30.382	23	77:01:27.217	21:30:22.562
11	77:05:22.915	21:14:30.775	24	77:04:44.601	21:28:28.461
12	77:01:56.495	21:07:27.326	25	77:07:17.277	21:31:18.101
13	76:53:42.788	21:07:00.202	26	77:05:29.907	21:33:06.260

IndiaCode

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए कार्यवाही किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

[फा. सं. 25/45/2014-ईएसजेड/आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2016

S.O. 4205(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1777(E), dated 30th June 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

WHEREAS, Government of Maharashtra vide its Gazette notification No.WLP-10.07/C.R.297/F-1, dated the 27th December, 2007, has declared 1500.49 square kilometer area of Melghat Tiger Reserve as critical tiger habitat under the provisions of section 38 (V) of Wildlife (Protection) Act, 1972 comprising of the following National Parks and Sanctuaries in the State of Maharashtra namely:-

(i) Gugamal National Park (36128.06 ha), District Amravati,

(ii) Wan Wildlife Sanctuary (21100.70 ha), District Amravati,

(iii) Melghat Wildlife Sanctuary (78875.24 ha), District Amravati,

(iv) Narnala Wildlife Sanctuary (1235.07 ha), District Akola and

(v) Ambabarwa Wildlife Sanctuary (12711.42 ha), District Buldhana;

AND WHEREAS, the Government of Maharashtra vide its Gazette notification No. WLP-10-10/CP-139/F-1, Dated the 29th September, 2010, declared 1268.03 square kilometers (920.65 square kilometers forest area and 347.38 square kilometer non forest area) as a buffer zone of Melghat Tiger Reserve, under section 38 (V) of the Wildlife (Protection) Act, 1972;

AND WHEREAS, the area has a very high faunal and floral diversity and supports large number of wild animals with habitat of 42 Tigers (*Panthera tigris)*, Leopard (*Panthera pardus)*, Bison (*Bos gaurus)*, Sloth Bear (*Melursus ursinus)*, Forest owlet (*Heteroglaux blewitti)* and that the forests of the Tiger Reserve are varied and rich and are classified as Group-5 – Sub-Group 5A-Southern Tropical Dry deciduous forest as per Champion and Seth classification;

AND WHEREAS, the tiger reserve area is catchment of important rivers such as the Tapti, the Gadga, the Sipna, and the Wan and has tribal villages having major population of tribals;

AND WHEREAS, the buffer zone of Melghat Tiger Reserve is required to be conserved from ecological and environmental point of view, to protect, propagate and develop wildlife therein or its environment;

AND WHEREAS, the extremely close vicinity of the above-mentioned National Parks and Sanctuaries which constitute the critical tiger habitat of Melghat Tiger Reserve to human habitation and ongoing developmental activities, necessitate the requirement of proper safeguards and control over such activities;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the buffer area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the critical tiger habitat of Melghat Tiger Reserve as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries, or class of industries and their operations or processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of up to 10 kilometers from the boundary of Gugamal National Park, Melghat Sanctuary, Wan Sanctuary, Ambabarwa Sanctuary and Narnala Sanctuary in the state of Maharashtra as the Melaghat Tiger Reserve Eco-Sensitive zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—(1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 126803.67 hectares with an extent from 2.2 kilometres to 14.85 kilometres from the boundary of Melghat Tiger Reserve. These extents are applicable for Maharashtra State. Zero extent is mentioned towards the boundary adjoining the state of Madhya Pradesh at South-West direction for which separate proposal of Eco-Sensitive Zone shall be taken into consideration with the concerned state. The Eco Sensitive Zone covers villages in Talukas namely, Dharni, Chikhaldara, Chikali, Motala, Khamgaon, Akot, Buldhana, and Sangrampur in the districts of Amravati, Akola and Buldhana.

(2) The boundary description of the Eco-Sensitive Zone is given in **Annexure I**.

(3) The list of the villages falling within the Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of the prominent points is annexed as **Annexure II.**

(4) The map of the Eco-sensitive Zone is annexed to this notification as **Annexure III.**

(5) The Eco-sensitive Zone includes both forest and non-forest areas as per details given below:

Sr. No.	District	Forest Area in ha.	Non Forest Area in ha.
1	Amravati	86696.56	12860.54
2	Akola	1932.43	15967.48
3	Buldhana	3436.50	5910.16
	Total	**92065.49**	**34738.18**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for consideration and approval of the State Government.

(2) The Zonal Master Plan so prepared shall commensurate with the stipulation specified in the Notification and include the environmental implications.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this Notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) As the buffer zone of the Melghat Tiger Reserve is part of the Eco-sensitive Zone, the Tiger Conservation Plan relating to the buffer zone shall be followed during the preparation of the Zonal Master Plan.

(5) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

i. Environment,

ii. Forest and Wildlife,

iii. Agriculture,

iv. Revenue,

v. Urban Development,

vi. Tourism,

vii. Rural Development,

viii. Irrigation and Flood Control,

ix. Municipal

x. Panchayati Raj

xi. Public Works Department,

(6) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes, wetlands and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions with respect to the provisions given in this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.—**The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.—**Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 9, 15, 21, 29, and 32 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,

(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads,

(iii) Small scale industries not causing pollution,

(iv) Rainwater harvesting, and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas as per buffer zone management plan of the Melghat Tiger Reserve.

(2) **Natural Springs.—**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the catchment management plan shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit or and restrict development activities within the catchment areas.

IndiaCode

(3) **Eco-Tourism.—**(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Eco-Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Maharashtra in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Maharashtra.

(c) The activity relating to tourism shall be as under, namely:-

(i) all new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Gugamal National Park, Melghat Sanctuary, Wan Sanctuary, Ambabarwa Sanctuary and Narnala Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this Notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artifacts areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein. -

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357(E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Plastic Waste Management.-** The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 340 (E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management.-** The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste

Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan till the Zonal Master Plan is approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

4. **List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be executed in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated activities		
8.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood-based industry may be set up in the Eco-sensitive Zone using 100 % imported wood stock.
9.	Establishment of hotels and resorts for eco-tourism.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities: Provided that beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansions of existing activities should be in conformity with the Eco-Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
10.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall permitted, as per applicable rules and regulations, if any.

		with the prior permission from the competent authority. (c) Beyond one kilometer and upto the extent of Eco sensitive Zone, construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial (d) construction activities shall be in confronting with the Zonal Master Plan.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thererunder.
12.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority; (c) No sale/trade of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
13.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling
14.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
17.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Efforts to be made for recycle and reuse of treated effluents. The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein. -
20.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
21.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
22.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
23.	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
24.	Fencing premises of hotels and lodges	Regulated under applicable laws.
25.	Solid Waste Management	Regulated under applicable laws.
26.	Use of polythene bags	Regulated under applicable laws.
27.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
Promoted activities		
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.

31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc shall be promoted
34.	Agro-forestry	Shall be actively promoted.
35.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.
36.	Skill Development	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:-

(1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(a) Collector, Amravati - Chairman

(b) representative of Collector, Akola - Member

(c) representative of Collector, Buldhana - Member

(d) a representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of three years in each case – Member

(e) Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board - Member

(f) Senior Town Planner of the area - Member

(g) a representative of the Department of Environment, Government of Maharashtra – Member

(h) one expert in the area of ecology and environment from reputed Institution or University of the State to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case- Member

(i) Member-Secretary or Member, Maharashtra State Biodiversity Board - Member

(j) Deputy Conservator of Forests, West Melghat Division –Member

(k) Deputy Conservator of Forests, Akot Wildlife Division –Member

(l) Deputy Conservator of Forests, Akola Division –Member

(m) Deputy Conservator of Forests, Buldhana Division –Member

(n) Representative of Field Director, Melghat Tiger Reserve - Member

(o) Deputy Conservator of Forests, East Melghat Division –Member Secretary.

Terms of Reference:

(1) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years from the date of issue of Notification.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests or the Field Director, Melghat Tiger Reserve shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this Notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

Annexure I

Limits and boundaries of the proposed Eco-sensitive Zone of Melghat Tiger Reserve

North :	Tapi river Maharashtra – Madhya Pradesh boundary from compartment no. 567 up to compartment No. 457 near Sumita village, thereafter along the northern boundary of compartment 457, 459, 460, 462 and 463 and along Khandu river, northern and eastern boundary of compartment 466,477 and 479 and northern boundary of compartment 420, 419, 418, 327, 329, 330, 333, western boundary of compartment 334, 403, 402, 400, 398, northern and eastern boundary of compartment No. 398 and 399 north eastern boundary of 336, northern north eastern, eastern and southern boundary 338, of multiple use area of existing melghat tiger reserve. Northern boundary of compartment NO. 1220, 1218, 1217, 1216, western boundary of compartment No. 1298, 1289, 1290 near village Chendo, northern boundary of village Ranigaon and Kanjoli and northern boundary of compartment No. 1172]1151]1152]1154]1155]1164 western boundary compartment No. 1163]1209 and northern boundary of compartment No. 1209, 1210, 1212, 1213 and 1214 of west melhgat forest division. All the compartments mentioned above along the boundary, are wholly included in the Melghat Eco-sensitive zone.
East :	Eastern boundary of compartment No. 318, 317 and 313 and 310 north and eastern boundary of compartment No. 309 eastern boundary of compartment No. 308 then along Madhya Pradesh border from Compartment No. 307, 306, 305, 304, 303, 301, 300, 299, 201, 200, 199 of east Melghat forest division and Compartment No. 77, 82, 81, 80, 55, 54 eastern, south eastern and southern boundary of compartment No.53 southern boundary of compartment No. 49 eastern boundary of compartment No. 47, 46 eastern, South eastern and southern boundary of compartment NO. 22 eastern boundary of compartment No. 26, eastern and southern boundary of compartment No. 27 of east melghat division. All the compartment mentioned above along the boundary, are wholly included in the Melghat Eco-sensitive zone.
South :	Along with Wastapur to Khongada road, eastern boundary of compartment no 950 of east melghat forest division and southern boundary of compartment No. 950 of east melghat forest division eastern and southern boundary of compartment No. 951 and east melghat division southern boundary of compartment No. 952 andwest melghat division compartment No. 958, 957, 956, 963, 962, 964, 971, 970 eastern boundary of 1020, 1021 and along with Pather nala up to village Popatkhed and southern village boundaries of village Popatkhed, Malkapur (Bhil), Khasgaon, Dharur (Ramapur), Sarfabad, Kasod (Shivpur), Alampur, Pimpri (Khurd), Yadlapur, Khairkhed, Chitalwadi, Khandala, Boradi, Karla, Batkhed, up to wan river of Akola forest division of Akola district, eastern village boundary of Pingli, Saikhed southern boundary of Alewadi, Vasali, Hadyamal, Shivani along with southern boundary of compartment No. 365 of Buldhana forest division of buldhana District. All the compartments mentioned along the boundary are wholly included in the Melghat Eco-sensitive zone.
West :	Western boundary of compartment No. 365, and northern boundary of compartment No. 364, 363 of Buldhana forest division and western boundary of 362, 360, 359, 352 of Ambabarwa Wildlife Sanctuary, compartment No. 1219, 1220 of west melghat forest division, Existing outer boundary of Melghat Tiger Reserve along with compartment No. 895, 741, 740, 739, 737, 738, 734, 748, 846, 845, 836, 835, 754,753, 749 and boundary along with river Sipna from compartment No. 635 to 657 and western boundary of compartment No. 658, 664, 663, 662, 590, 578, 577, 576, 569, 568 and 567 near village Rangubeli. All the compartment mentioned along the boundary are wholly included in the Melghat Eco-sensitive zone.

Annexure II

List of Villages along with Geo co -ordinates

Sr.No.	Name of Division	Taluka	Name of Village	Longitute				Lattitude			
				Deg.		Min.	Sec.	Deg.		Min.	Sec.
1	**Sipna Wildlife Division Paratwada**	Chikhaldara	Ghana	E	77	28	37	N	21	34	21
2			Khandukheda	E	77	27	08	N	21	34	45
3			Chunkhadi	E	77	24	59	N	21	34	31
4			Khadimal	E	77	25	47	N	21	36	32
5			Awagad	E	77	27	50	N	21	35	54
6			Mehrium	E	77	27	26	N	21	37	04
7			Jarida	E	77	29	00	N	21	38	18
8			Kamida	E	77	29	05	N	21	38	54
9			Barugavhan	E	77	29	52	N	21	40	14
10			Marita	E	77	23	16	N	21	40	04
11			Surita	E	77	18	25	N	21	44	04
12			Ektai	E	77	20	50	N	21	44	25
13			Simori	E	77	2	02	N	21	42	29
14			Chilati	E	77	18	54	N	21	42	13
15			Ruipathar	E	77	16	49	N	21	42	20
16			Sarwarkheda	E	77	19	00	N	21	40	38
17			Hatru	E	77	19	14	N	21	41	33
18			Kuhi	E	77	16	16	N	21	41	09
19			Domi	E	77	16	45	N	21	43	01
20			Bhutrum	E	77	15	48	N	21	39	30
21			Khokmar	E	77	12	45	N	21	40	19
22			Khamda	E	77	09	22	N	21	40	39
23			Kund	E	77	10	50	N	21	43	16
24			Rangubeli	E	77	08	00	N	21	42	57
25			Ghokda	E	77	09	15	N	21	41	36
			25 Villages								
26	**Gugamal Wildlife Division Paratwada**	Chikhaldara	Tarubanda	E	77	08	41	N	21	27	57
27			Keli	E	77	10	48	N	21	29	30
28			Chikhali	E	77	07	33	N	21	30	20
29			Patkahu	E	77	07	01	N	21	28	58
30			Harisal	E	77	06	40	N	21	32	06
31			Tangada	E	77	05	22	N	21	35	45
32			Chaurakund	E	77	06	26	N	21	36	34
33			Raksha	E	77	06	01	N	21	27	39
34			Bhiroja	E	77	09	22	N	21	30	09
35			Ghadgabhandum	E	77	00	23	N	21	26	40
36			Sawarya	E	77	02	20	N	21	26	07
37			Bhandum	E	77	01	04	N	21	25	30
38			Kesarpur	E	77	08	21	N	21	30	04
39			Dabhiya	E	77	59	51	N	21	25	31
			14 Villages								
40	**West Melghat Division Paratwada**	Chikhaldara	Khatkali	E	77	05	58	N	21	15	53
41		Chikhaldara	Ahad	E	77	05	07	N	21	13	23

Vidarbha

Sr.No.	Name of Division	Taluka	Name of Village	Longitute				Lattitude			
				Deg.		Min.	Sec.	Deg.		Min.	Sec.
42		Dharni	Golai	E	76	53	11	N	21	18	45
43		Dharni	Mothkheda	E	76	51	27	N	21	18	57
44		Dharni	Bhiroti	E	76	40	12	N	21	19	08
45		Dharni	Dhulghat	E	76	44	11	N	21	17	41
46		Chikhaldara	Amona	E	76	59	40	N	21	13	33
47		Chikhaldara	Talai	E	76	48	41	N	21	15	35
48		Dharni	Palaskundi	E	76	43	29	N	21	17	16
49		Dharni	Ranigao	E	76	46	26	N	21	18	02
50		Dharni	Kanjoli	E	76	49	54	N	21	19	00
51		Dharni	Chendo	E	76	43	29	N	21	18	20
			12 Villages								
52	**East Melghat Division Chikhaldara**	Chikhaldara	Amzari	E	77	20	07	N	21	26	06
53			Mariumpur	E	77	18	59	N	21	24	53
54			Khatkali	E	77	19	04	N	21	25	40
55			Chikhaldara	E	77	19	41	N	21	24	03
56			Shahapur	E	77	20	06	N	21	25	03
57			Bori	E	77	20	27	N	21	26	50
58			Tetu	E	77	20	27	N	21	26	50
59			Mozari	E	77	18	23	N	21	22	27
60			Baglinga	E	77	20	57	N	21	21	32
61			Jamunnala	E	77	23	32	N	21	25	50
62			Lawada	E	77	20	16	N	21	23	46
63			Aladoh	E	77	20	22	N	21	24	06
64			Pandhari	E	77	20	16	N	21	23	45
65			Girguti	E	77	12	24	N	21	19	11
66			Ambapati	E	77	13	58	N	21	19	43
67			Jamling	E	77	15	41	N	21	20	11
68			Khongda	E	77	11	14	N	21	18	54
69			Lonazari (Masondi)	E	77	20	17	N	21	28	24
70			Bhawai	E	77	22	53	N	21	29	39
71			Wastapur	E	77	19	49	N	21	21	03
72			Kulangna (kh)	E	77	18	56	N	21	20	59
73			Kulangna (BK)	E	77	18	22	N	21	20	48
74			Chinchkheda	E	77	16	38	N	21	20	26
			23 Villages								
75	**Buldhana Forest Division Buldhana**	Sangrampur	Shioni	E	76	39	31	N	21	07	24
76			Wasali	E	76	38	49	N	21	09	43
77			Nimkhedi	E	76	18	32	N	21	09	35
78			Chichari	E	76	40	41	N	21	09	36
79			Saikhed	E	76	42	48	N	21	08	49
80			Alewadi	E	76	41	04	N	21	10	06
81			Pinglai (BK)	E	76	44	12	N	21	09	36
82			Hadyamal	E	76	39	03	N	21	08	48
83			Kamod (Rith)	E	76	44	31	N	21	10	41
			9 Villages								

Intacone

S. No.	Name of Village	Taluka	Latitude	Longitude
1	Sundharkhed	Buldana	N-20 31 425	E-76.12.370
2	Sawala		N-20 35 417	E-76.13.541
3	Bhadola		N-20 31.141	E- 76.14.163
4	Warand		N-20 30 515	E- 76.16.452
5	Gondhankhed		N-20 31.405	E- 76.18.425
6	Pimparkhed		N-20 32 245	E- 76.16.445
7	Dongarkhandala		N- 20 29 170	E- 76 17 478
8	Hanumantkhed		N- 20 33 329	E- 76 13 407
9	Kherdi		N- 20 28 539	E- 76 16 471
10	Dongarsheoli	Chikhali	N- 20 28 083	E- 76 19 012
11	Vairagad		N- 20 28 475	E- 76 28 070
12	Karwand		N- 20 27 295	E- 76 22 357
13	Takarkhed helga		N- 20 27 334	E- 76 24 557
14	Andhai		N-20 24 459	E- 76.18 498
15	Borala		N- 20 30 539	E- 76 21 070
16	Harni		N- 20 29 309	E- 76 26 208
17	Chandhai		N- 20 25 537	E- 76 18 176
18	Kotkhed	Motala	N- 20 28 043	E- 76 20 317
19	Taroda		N- 20 35 416	E- 76 15 567
20	Giroli		N- 20 38 362	E- 76 19 355
21	Nimkhedi		N- 20 37 483	E-76 18 327
22	Dhamangaon		N- 20 39 118	E-76 18 120
23	Kothali		N- 20 38 329	E-76 15 563
24	Pimpalgaon nath		N- 20 39 193	E-76 19 563
25	Chinchkhed nath		N- 20 36 074	E-76 21 311
26	Tarapur		N- 20 36 313	E-76 18 009
27	Khirkhed		N- 20 34 478	E-76 13 350
28	Sahastramuli		N- 20 36 578	E-76 14 32
29	Sarola	Khamgaon	N- 20 35 238	E-76 27 544
30	Zhodga		N- 20 31 463	E-76 28 272
31	Ngzari ku.		N- 20 31 159	E-76 29 185
32	Ngzari bu.		N- 20 30 254	E-76 29 085
33	Wzhar		N- 20 33 009	E-76 29 151
34	Pimpalechos		N- 20 35 427	E-76 24 003
35	Belkhed		N- 20 35 377	E-76 24 158

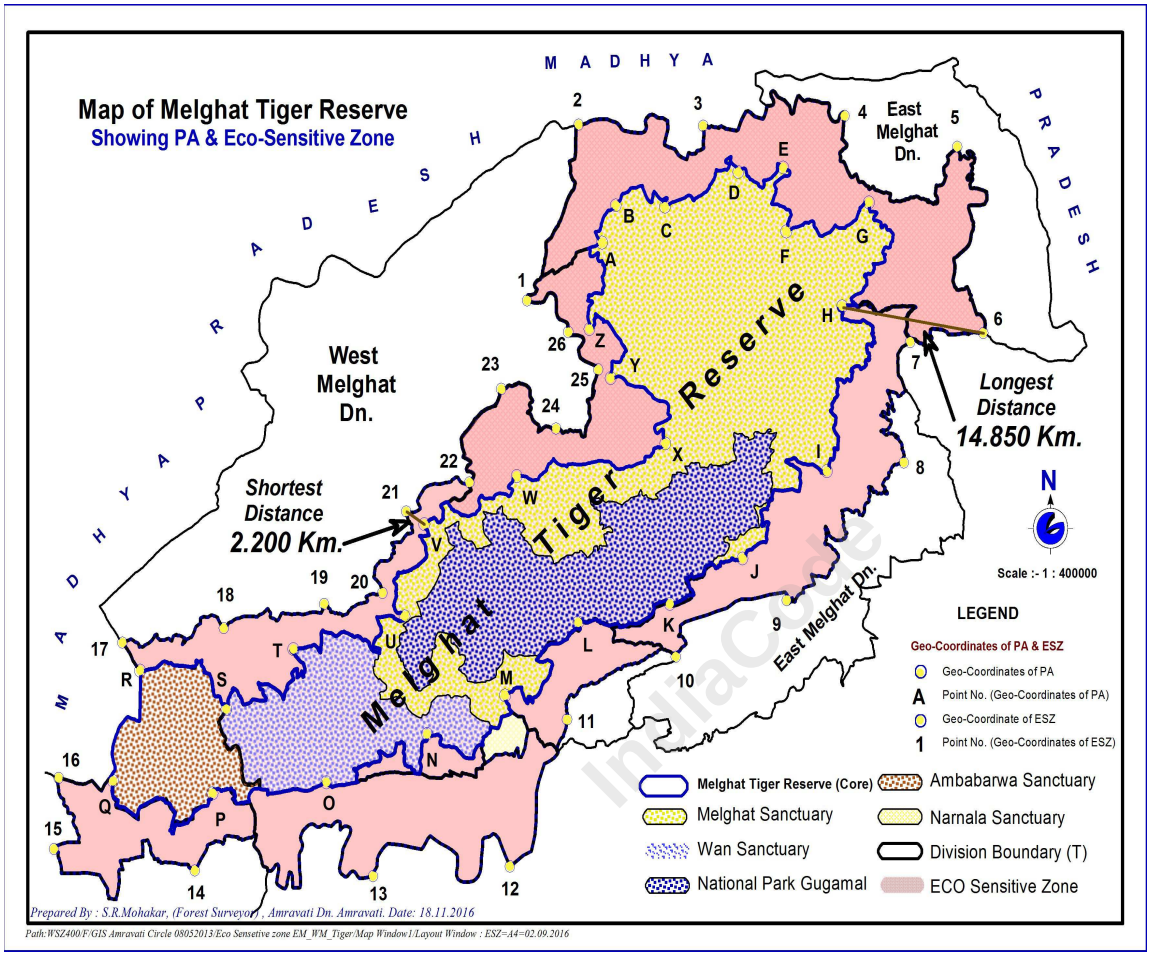
India Code

Sr. No.	Name of Division	Taluka	Name of Village	Village Point Co ordinate
1	Akola Forest Division, Akola	Akot	Bhili	N21˚11′27.27″ E76˚54′26.84″
2			Pimpri (Kh)	N21˚09′27.41″ E76˚58′09.58″
3			Yedlapur	N21˚09′36.85″ E76˚56′57.00″
4			Khairkhed	N21˚09′57.87″ E76˚55′54.85″
5			Sahanoor	N21˚13′43.91″ E77˚02′20.54″
6			Karhi (Rupagad)	N21˚11′22.98″ E76˚57′41.03″
7			Aurangabad (Rith)	N21˚07′08.62″ E77˚01′49.92″
8			Alampur (Rith)	N21˚10′33.78″ E76˚59′29.88″
9			Chipi	N21˚11′43.49″ E76˚56′29.72″
10			Dhondakhar	N21˚11′15.86″ E76˚55′40.49″
11			Borwa	N21˚11′04.99″ E76˚53′52.91″
12			Chittalwadi	N21˚09′16.00″ E76˚54′42.14″
13			Boradi (Rith)	N21˚09′10.01″ E77˚01′55.10″
14			Chichari	N21˚10′40.10″ E76˚53′34.73″
15			Diwazari	N21˚10′59.92″ E76˚51′32.66″
16			Zaribajar	N21˚11′21.27″ E76˚50′35.73″
17			Umreshwari	N21˚11′23.57″ E76˚49′59.36″
18			Karla	N21˚08′36.14″ E76˚49′30.83″
19			Piparkhed	N21˚08′36.14″ E76˚49′30.83″
20			Wari	N21˚10′39.65″ E76˚48′02.68″
21			Badkhed	N21˚09′34.46″ E76˚47′59.91″
22			Bhoypani	N21˚10′41.60″ E76˚49′59.38″
23			Khandala	N21˚11′08.03″ E76˚53′29.79″
24			Chandanpur	N21˚18′28.72″ E76˚53′06.25″
25			Rahanapur	N21˚12′06.17″ E77˚02′10.77″
26			Malkapur Gond	N21˚13′57.16″ E77˚03′33.51″
27			Popatkhed	N21˚12′22.47″ E77˚04′30.44″
28			Malkapur Bhil (Rith)	N21˚12′57.88″ E77˚03′10.22″
29			Khasgaon (Rith)	N21˚10′42.71″ E77˚03′10.22″
30			Dharur (Rampur)	N21˚09′58.36″ E77˚02′39.12″
31			Sarfabad (Rith)	N21˚01′50.64″ E77˚24′35.88″
32			Kasod (Shivpur)	N21˚10′45.82″ E77˚00′58.14″
33			Jitapur Bhil	N21˚11′19.85″ E76˚57′24.54″
34			Sahapur	N21˚11′13.69″ E76˚59′37.71″
35			Jitapur Rupagad	N21˚11′06.92″ E76˚58′43.36″

IndiaCode

Annexure III

Map of Eco-sensitive Zone of Melghat Tiger Reserve



Geo Co-ordinates of Prominent Boundary of Melghat Tiger Reserve

Point No.	Longitude	Latitude	Point No.	Longitude	Latitude
A	77:07:31.707	21:37:23.772	N	76:56:58.308	21:13:49.157
B	77:08:22.116	21:39:10.966	O	76:50:55.074	21:11:30.396
C	77:11:19.851	21:39:06.239	P	76:44:05.164	21:10:58.420
D	77:15:44.764	21:40:45.720	Q	76:38:06.123	21:11:34.061
E	77:18:27.051	21:40:58.003	R	76:39:43.683	21:16:51.851
F	77:18:38.055	21:37:53.978	S	76:44:54.928	21:15:01.168
G	77:23:36.686	21:39:16.758	T	76:48:56.477	21:17:53.909
H	77:21:59.309	21:34:17.812	U	76:55:37.989	21:19:28.127
I	77:21:02.328	21:26:23.204	V	76:56:49.230	21:23:53.549
J	77:15:56.799	21:22:12.400	W	77:02:22.561	21:26:11.595
K	77:11:34.524	21:20:01.800	X	77:11:19.072	21:27:44.447
L	77:06:03.895	21:19:10.043	Y	77:08:02.383	21:30:53.292
M	77:01:39.670	21:15:40.409	Z	77:06:45.978	21:33:14.343

Geo Co-ordinates of Prominent Boundary of the ESZ of Melghat Tiger Reserve

Point No.	Longitude	Latitude	Point No.	Longitude	Latitude
1	77:03:01.546	21:34:37.581	14	76:43:00.871	21:07:16.792
2	77:06:08.268	21:43:03.122	15	76:34:34.183	21:08:17.626
3	77:13:38.609	21:42:58.933	16	76:34:50.136	21:11:42.797
4	77:22:08.912	21:43:26.665	17	76:38:40.003	21:18:12.521
5	77:28:56.725	21:41:55.516	18	76:44:45.780	21:18:54.829
6	77:30:28.080	21:32:59.569	19	76:50:47.464	21:20:03.860
7	77:26:04.072	21:32:34.359	20	76:54:18.386	21:20:35.998
8	77:25:39.911	21:26:47.176	21	76:55:43.967	21:24:29.817
9	77:18:35.927	21:20:12.217	22	76:59:32.327	21:25:53.651
10	77:11:54.927	21:17:30.382	23	77:01:27.217	21:30:22.562
11	77:05:22.915	21:14:30.775	24	77:04:44.601	21:28:28.461
12	77:01:56.495	21:07:27.326	25	77:07:17.277	21:31:18.101
13	76:53:42.788	21:07:00.202	26	77:05:29.907	21:33:06.260

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

[F. No. 25/45/2014-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Nishok Kumar Paria
Digitally signed by Nishok Kumar Paria
Date: 2016.12.29 11:36:24 +05'30'